(19)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0ः—100 / 2018 दायर दिनांक 26.10.2018

जीसीएमएस आई0डी0ः—2018 / 00275

1. शिवलहरी पुत्र रामखिलाडी
2. लक्ष्मण पुत्र रामखिलाडी
3. शिवदेई पुत्री रामखिलाडी
4. मंगली बेबा रामखिलाडी

जाति कुम्हार निवासी कसाने का नंगला हालवासी ढण्ड तहसील महवा जिला दौसा

——सायलान—04

बनाम

1. गिर्राज पुत्र हरभान
2. पदम
3. सुग्रीव — पिसरान गिर्राज
4. हंसा
5. ऋषि पुत्र पदम

जााति गुर्जर निवासी कसाने का नंगला तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

——गैरसायलान——05

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता वकील सायलान
2. श्री मोहन अवस्थी वकील गैरसायलान

निर्णय दिनांकः— 8/04/2025

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा न0 1 / 4233 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम कंसाने का नंगला तहसील हिण्डौन में स्थित है। जो सायलान की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। अन्य किसी व्यक्ति का व गैरसायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

सायलान ने अपनी खातेदारी की भूमि में बाजरे की फसल काश्त की है। जो मौके पर सरसब्ज हालत में ही खडी हुई फसल सायलान व अन्य किसी व्यक्ति का सायलान की खातेदारी की भूमि से कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन गैरसायलान लट्ठबाज प्रवृत्ति के लोग है, और सायलान की कमजोरी का नाजयाज फायदा उठाकर भूमि से गैरसायलान सायलान को बेदखल कर स्वयं कब्जा करने की फिराक में है। गैरसायलान आये दिन मौके पर जाकर सायलान की भूमि मे मजाहमत मदाखलत पैदा करते है और जबरदस्ती कब्जा करके भूमि में निर्माण कार्य करवाकर कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन करना चाहते है। जिसके लिये गैरसायलान ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बाका दिनांक 16.09.2018 को सुबह 8–9 बजे का है कि सायलान अपनी बाजरे की फसल को देखने के लिये मौके पर गये। तो गैरसायलान हाथों में लाठी डण्डा ले लेकर मौके पर आ गये। और सायलान की खातेदारी की भूमि मे मजाहमत मदाखलत पैदा करने लगे। और मौके पर निर्माण करवाने के लिये मैटेरियल लाकर डाल दिया। सायलान ने गैरसायलान से हाथ जोडकर मना किया, तौ गैरसायलान सायलान को मारने पर आमदा हुये। गैरसायलान ने सायलान की ऐलानिया धमकी दी है, कि वे भूमि हमारी है। तुम्हारी खातेदारी की भूमि की भूमि नहीं है तुम्हे हम बेदखल कर स्वयं कब्जा करके रहेगें और गढढे आदि खोदकर नाकाबिल काश्त बना देगें, और सायलान से कहा कि आज के बाद इस भूमि पर आकर के पैर भी रखा, तो जान से मारकर इस भूमि में ही गाढ देगे। गैरसायलान अगर अपने उद्‌देश्य की पूर्ति में सफल हो गये, तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकेगी। सायलान को अपनी भूमि से वचिंत रहना पडेगा। जिससे सायलान के हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। और सायलान के बाल बच्चे भुखे मर जावेगे। गैरसायलान सायलान व अन्य लोगों के समझाने पर अज खूदमानने को तैयार नहीं है। इसलिये दावा व संबंधित प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला पाबंद फरमाया जावे कि भूमि मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा न0 1/4233 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम कंसाने का नंगला तहसील हिण्डौन के सायलान के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करे। सायलान को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। सायलान को शांतिपूर्वक तरीके से अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे। भूमि में गढढे आदि खोदकर नाकाबिल काश्त नहीं बनाये। एवं कोई निर्माण कार्य नहीं करवाकर कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित नहीं करे। तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करे। कि जिससे की सायलान के हकूकों पर प्रतिकुल प्रभाव पडे।

गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया, गैरसायल न0 1 ता 5 की ओर से श्री मनोज अवस्थी द्वारा वकालत[illegible] किया। जबाब के अनेक अवसर दिये गये परन्तु जबाब पेश [illegible] आदेशिका दिनांक 09.05.2022 से गैरसायलान का जबाब बंद किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी 2070–73 खाता संख्या 177 वाके ग्राम कसाने का नंगला तहसील सूरौठ पेश किये।

प्रकरण में सायलान वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला पाबंद फरमाया जावे कि भूमि मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा न0 1/4233 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम कंसाने का नंगला तहसील हिण्डौन के सायलान के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करे। सायलान को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। सायलान को शांतिपूर्वक तरीके से अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने देने। भूमि में गढढे आदि खोदकर नाकाबिल काश्त नहीं बनाने। एवं कोई निर्माण कार्य नहीं करवाकर कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित नहीं करने। तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करने। कि जिससे की सायलान के हकूकों पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नकल जमाबंदी 2070–73 खाता संख्या 177 के खसरा न0 1/4233 वाके ग्राम कसाने का नंगला तहसील सूरौठ के सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। सायलान द्वारा अपने वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य रूप के रूप में गैरसायलान द्वारा विवादित आराजीयात पर कब्जे काश्त एवं मौके पर निर्माण करने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे सायलान अपने वाद पत्र के तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 221 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

22

कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 8/4/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:00:46 IST
Reason: SelfAttested